न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना—कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी :—

हनुमान पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी ग्राम खाखड़की तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. रामेश्वर पुत्र हीराराम
2. सीताराम पुत्र हीराराम
3. श्योराम पुत्र रामा
4. पुखराज पुत्र बनाराम
5. प्रकाशचन्द जाट पुत्र बनाराम सभी जाट निवासीयान खाखड़की तहसील नावां।
6. बाबूलाल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7. बलदेवसिंह पुत्र नारायणराम
8. रतनलाल पुत्र नारायणराम
9. शिवभगवान पुत्र नारायणराम
10. भंवरीदेवी पुत्री नारायणराम
11. सोहनीदेवी पुत्री नारायणराम सभी जाति जाट निवासीयान सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12. भूमिधारी तहसीलदार नावां।

<u>दावा वास्ते भू—विभाजन व इस्तकरार हक</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :— श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी
श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5

मुकदमा नम्बर :— 11/2023 निर्णय दिनांकः— 13.10.2023

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.30 हैक्टर कुल रकबा 10.30 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से 1/8 हिस्सा [illegible] 1.2875 हैक्टर भूमि वादी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकारों में कब्जा चला आ रहा है। उपर्युक्त भूमि के सहारे वादी काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। वादी की आजीविका का एकमात्र साधन सही कृषि भूमि है। वादी की भूमि व दीगर प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 16:06:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

भूमि मौके पर बंटी हुई है। जबकि भूमि का विधिवत भू–विभाजन नहीं हो रखा है। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से वादी को वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादी अपनी भूमि का भू–विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 सहखातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 6 ता 12, मृतक नारायणराम के वारिसान होने से तथा प्रतिवादी संख्या 13 प्रतिनिधि सरकार होने से आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण है। राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.30 हैक्टर कुल रकबा 10.30 हैक्टर भूमि में से 1/8 हिस्सा की 1.2875 हैक्टर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत भू–विभाजन की डिक्री तथा उक्त भूमि में नारायणराम के वारिसान को खातेदार घोषित कर वादी की पृथक जोत कायम करने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार नावां औपचारिक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.30 हैक्टर कुल रकबा 10.30 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रामेश्वर की 1/16 हिस्सा की 0.64375 हैक्टर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 सीताराम की 1/16 की 0.64375 हैक्टर भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 श्योराम की 1/8 हिस्सा की 1.2875 हैक्टर भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 4 पुखराज की 1/16 हिस्सा की 0.64375 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 5 प्रकाशचन्द की 1/16 हिस्सा की 0.64375 हैक्टर भूमि के उत्तरदातागण बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत भू–विभाजन करवाकर अपनी अपनी पृथक जोत कायम करवाना चाहते है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल चालू जमाबंदी संवत 2075 प्रदर्श पी1 व खसरा नक्शा प्रदर्श पी2 पेश किये। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी हनुमान के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू.1 प्रतिवादी रामेश्वर, डी.डब्ल्यू.2 प्रतिवादी श्योराम के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान के तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उभयपक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.30 हैक्टर कुल रकबा 10.30 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की भूमियां का भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.30 हैक्टर कुल रकबा 10.30 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी :—

हनुमान पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी ग्राम खाखड़की तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. रामेश्वर पुत्र हीराराम
2. सीताराम पुत्र हीराराम
3. श्योराम पुत्र रामा
4. पुखराज पुत्र बनाराम
5. प्रकाशचन्द जाट पुत्र बनाराम सभी जाट निवासीयान खाखड़की तहसील नावां।
6. बाबूलाल पुत्र नारायण जाति जाट निवासी सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7. बलदेवसिंह पुत्र नारायणराम
8. रतनलाल पुत्र नारायणराम
9. शिवभगवान पुत्र नारायणराम
10. भंवरीदेवी पुत्री नारायणराम
11. सोहनीदेवी पुत्री नारायणराम सभी जाति जाट निवासीयान सुतोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12. भूमिधारी तहसीलदार नावां।

मुकदमां नम्बर :— 11/2023 निर्णय दिनांक :— 13.10.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी एवं श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.30 हैक्टर कुल रकबा 10.30 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू—विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.10.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.02.02 15:06:07 IST
Reason: SelfAttested